

सं० सं० 14/एम 11-2/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान  
राय बरेली रोड, लखनऊ,-226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुषमा सिंह अभिभावक-साधवी राजु भारद्वाज ग्राम-नेवरास थाना-कुदरा जिला-कैमुर सी.आरनं०-2011408784	ऐ-प्लास्टिक ऐनिमिया रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	शुभम पिता-पंकज कुमार ग्राम-पो०-बेलहीखास थाना-कटेया जिला-गोपालगंज सीआरनं०-2215508117	मुत्र रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
3	कुर्बान सिद्धकी पिता-स्व. फौजदार सिद्धकी ग्राम-पो०-देवहलीया थाना-रामगढ़ जिला-भभुआ कैमुर सीआरनं०-2014098380	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	सोनु कुमार पिता-उपेन्द्र यादव ग्राम-कल्याणपुर पो०-तुंगी थाना-दीप नगर जिला-नालंदा	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
5	मोहन सिंह पिता-हरिशचन्द्र सिंह ग्राम-विष्णुपुर वासुदेव पो०-विष्णुपुर थाना-रून्नी सैदपुर जिला-सीतामढ़ी	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।

21/11/16  
14/11/16

6	उपेन्द्र राय पिता-स्व. मोहन राय ग्राम-कुसैल पो0-भिठा धर्मपुर थाना-पुपरी जिला-सीतामढ़ी सीआरनं0-2012146163	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	अरूण कुमार पिता-कपिलदेव शर्मा ग्राम-कठौतीया पो0-मझीयांवा थाना-आंती जिला-गया सीआरनं0-2016068964	पैनक्रियाटीज रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
8	इस्तेयाक आलम पिता-ग्यासुद्दीन ग्राम-इजमाली पो0-लकरी दरगाह थाना-बड़हरीया जिला-सिवान सीआरनं0-2016057544	किडनी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
9	संतोष प्रसाद पिता-शिव प्रसाद ग्राम-कैथवलीया वार्ड नं0-7 पो0+थाना+जिला-गोपालगंज सीआरनं0-2016217217	हेपेटाइटिस बी0	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
10	रेवती देवी पति-प्यारे लाल सिंह ग्राम-अरंग पो0-बसडीहा थाना-दिनारा जिला-रोहतास सीआरनं0-2015491467	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 13,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,50,000/- (तेरह लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 387906.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0.RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

30/11/17  
14/11/16

5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...387906...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

1006 (14)

पटना, दिनांक 15.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

24.7.16